राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	दाखा देवी बनाम एजेडी डवलपर्स हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/04/2026 को पेश हो |	
06/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19/11/2024 पारित करते हुये तहसीलदार चाकसू को विवादित आराजीयात खाता संख्या 216 में खसरा नम्बर 5034 कुल किता 1 कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर वाके ग्राम चाकसू पूर्व पटवार हल्का चाकसू, तहसील चाकसू को मौका कमिश्नर नुयुक्त कर विवादित आराजी का मौका निरीक्षण कर एवं विभाजन प्रस्ताव मुताबिक नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अनुसार तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20/08/2025 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रकरण में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को सूचना प्रदान करते हुये कुर्रेजात तैयार किया जाना प्रकट नही होता है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट में पक्षकारान को सूचना देने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख भी नही किया गया है | ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रकरण में प्रेषित की गयी कुर्रेजात रिपोर्ट विधिसम्मत जाहिर नही होती है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया पक्षकारान का विभाजन भी न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | ऐसेमें उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित किये गये सिद्धांतो के अनुसरण में अपीलार्थी को मियाद का लाभ प्रदान करते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	दाखा देवी बनाम एजेडी डवलपर्स हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
43/2026		

उचित प्रतीत होता है | अत: प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20/08/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर बाद प्राप्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान को सुनवाई एवं आपत्ति का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया